

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 18.09.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

03 राशि गोवंशीय पशु व 02 अदद अवैध चाकू के साथ 02 शातिर गौतस्कर गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 राशि गोवंशीय पशु व 02 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्तगण 01- मो0 वाजिद पुत्र मो0 झीनक निवासी तरकुलवा 02- इशितयाक अहमद पुत्र लाल मोहम्मद निवासी भरवलिया बूधान थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को सालेहपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 316/19 धारा 3/5(अ)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व बरामद अवैध चाकू के सम्बन्ध में मो0 वाजिद व इशितयाक अहमद के विरुद्ध क्रमशः 317/19 व 318/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री गौरव सिंह, उ0नि0 श्री चन्द्रभान तिवारी, उ0नि0 श्री महफूज खान, हे0का0 रविशंकर, का0आशुतोष पाण्डेय, का0 प्रदीप यादव ।

1.500 किलोग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 1.500 किलोग्राम अवैध गाँजे के साथ अभियुक्त आसिफ अली पुत्र मंसूर अली निवासी पंचायत भवन कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 399/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

आपराधिक मानव वध में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 672 / 19 धारा 308 / 323 भा0द0वि0 में वाँछित अभियुक्तगण 01- राकेश पुत्र हरिराम 02- गजेन्द्र यादव पुत्र रामानन्द यादव निवासीगण मोहम्मदपुर कठार को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के लड़कों इन्द्रराज व शिव पुत्रगण कपिल निवासी मोहम्मदपुर कठार को पुरानी रंजिश को लेकर मारा पीटा गया था जिससे गम्भीररूप से चोटें आयी थी जिसके उपरान्त थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वादी की तहरीर पर दिनांक 17.09.2019 को अभियोग पंजीकृत किया था जिसमें आज दिनांक 18.09.2019 को उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

वारण्टी

थाना महुली पुलिस द्वारा 03 वारण्टी नाम पता – 1-विजय कुमार पुत्र हरिवंश 2- जितेन्द्र पुत्र राममिलन निवासीगण पड़रहा 3- मनोहर पुत्र धन्नू निवासी सुकरौली थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता – श्रीमती गुलाची देवी पत्नी श्रीकान्त निवासी कुसौना थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 द्वारा दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल –पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मनियरा अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 6571 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबंध में सूचना दिया । इस सूचना पर पीआरवी कर्मी तत्काल 07 मिनट में मौके पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को एम्बुलेंस वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया तथा चालक को उग्र भीड़ से बचाकर कोतवाली खलीलाबाद के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचा कर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- मु0आरक्षी अनिरुद्ध यादव , आरक्षी बृजेश पाण्डेय, हो0चा0 देवेन्द्र नाथ राय ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार –

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 02 वाहन चालान व 13 वाहनो से 16800 रु0

सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 18-09-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 02 वाहन चालान व 13 वाहनो से 16800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 18-09-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 23 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 63 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।